

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक:- प0 3(11)गृह-1 / 2024 पार्ट (21141)

दिनांक:- हस्ताक्षरित दिनांक

स्वीकृति-आदेश

1. विभागीय प्रस्तावानुसार राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के सुदृढीकरण हेतु राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में निम्नांकित नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं:-

क्रम संख्या	पदनाम	वित्त विभाग द्वारा सहमत नवीन पद	वित्त विभाग द्वारा संविदा पर सहमत विशेषज्ञ मैनपावर (नवीन स्वीकृत पदों की भर्ती पूर्ण होने तक)
1.	सहायक निदेशक (L-16)	05	—
2.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (L-15)	10	—
3.	वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (L-12)	10	—
4.	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (L-10)	10	—
5.	प्रयोगशाला सहायक (L-08)	10	—
6.	कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक (L-05)	10	—
7.	सूचना सहायक (L-08)	02	—
	कुल	57	56

2. विभागीय प्रस्तावानुसार डी.एन.ए खण्डों के लिए उपकरण एवं संसाधन हेतु विस्तृत प्रस्ताव राशि रूपए 2627.70 लाख के निर्भया फण्ड योजना के तहत गृह मांत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किये जा चुके हैं। नवीन मानव संसाधन हेतु निर्भया योजना के प्रस्ताव के अतिरिक्त अनुमानित राशि रूपये 100.00 लाख उपकरणों, रसायनों एवं किट्स आदि संसाधन क्रय हेतु उपलब्ध बजट प्रावधान से व्यय किये जाने की सहमति प्रदान की जाती हैं। अतिरिक्त राशी की आवश्यकता होने पर विभाग को आगामी बीएफसी में मांग प्रस्तुत कराये जाने अथवा **Additionality** के प्रस्ताव यथा समय भिजवाये जाने का परामर्श भी दिया जाता है।
3. विभागीय प्रस्तावानुसार नवीन मानव संसाधन से नवीन परीक्षण यूनिट एवं नवीन खण्ड प्रारम्भ करने हेतु अनुमानित राशि रूपये 20.00 लाख के फर्नीचर क्रय की सहमति प्रदान की जाती हैं।
4. विभाग को यह सलाह भी दी जाती है कि **विधान सभा** उपचुनाव-2024 के दृष्टिगत उक्त सहमति की क्रियान्विति वर्तमान में लागू **आदेश-आचार संहिता** के संदर्भ में करें।



आवश्यकतानुसार इस संबंध में चुनाव आयोग से सक्षम अनुमति प्राप्त करने का दायित्व विभाग का रहेगा।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आईडी संख्या 182401387 दिनांक 24.10.2024 के द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जाती हैं।

(कश्मी कौर)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा), राज., जयपुर।
2. निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राज., जयपुर।
3. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज., जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-4) विभाग राज., जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

RajKaj Ref
11404810